



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 337]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2025—अग्रहायण 14, शक 1947

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2025

क्रमांक एफ ए-3/26/2019/1/पांच(48): राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-26-2019-1-पांच (53) दिनांक 29 जून, 2019 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, तृतीय अनुच्छेद में, प्रथम परंतुक में, “अगस्त 2020 के 31 वें दिन” अंकों और शब्दों के स्थान पर “अक्टूबर 2020 के 31 वें दिन” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 31 अगस्त, 2020 से प्रवृत्त मानी जाएगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2025

क्र. एफ ए-3-26-2019-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-26-2019-1-पांच (48), दिनांक 5 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 5th December 2025

No. F A 3-26/2019/1/V(48) : In exercise of the powers conferred by section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017(19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby, makes the following further amendment of in this department's notification No. F A-3-26-2019-1-V(53) dated the 29th June, 2019, namely:-

In the said notification, in the third paragraph, in the first proviso, for the figures, letters and words "31st day of August, 2020", the figures, letters and words "31st day of October, 2020" shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into effect from 31st day of August, 2020.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

VANDANA SHARMA, Dy. Secy.